

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(चिन्मयी गोपाल, आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

75 / 2019
18-9-2019

रामस्वरूप पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति जाट निवासी ग्राम बारेड़ा पंचायत व पटवार हल्का
बस्सी तहसील निवाई जिला- टोंक राज0

-अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार निवाई जिला-टोंक

-रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय
तहसीलदार निवाई दिनांक 16-8-2019 मिसल नम्बर 606/2019

उपस्थिति : (1) श्री बसन्त कुमार जेन अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री मजहर आलम, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय

दिनांक 20-1-2022

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार निवाई ने अपने निर्णय दिनांक 16-8-2019 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि किरम बारानी-3 में खसरा नम्बर 484 कुल रकबा 07-08 बीघा में से रकबा 0.02 बीघा वाके ग्राम बारेड़ा तह0 निवाई में मकान बनाकर पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने का दोषी मानते हुए भूमि से बेदखल करने 3/रूपये की पेनल्टी कायम कर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश दिया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार निवाई के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अपीलान्ट एवं उनके अभिभाषक उपस्थित नहीं हुए राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट को दिनांक 9-12-2021 को लिखित बहस प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया किन्तु उनको द्वारा आज तक लिखित बहस पेश नहीं किये जाने के कारण अपील प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए गुणवगुण आधार पर निर्णय किया जाना उचित समझते हैं। अपीलान्ट द्वारा अपील में अंकित किया गया है कि अपीलान्ट के विरुद्ध पटवारी हल्का ग्राम बस्सी ने राजकीय भूमि खसरा नम्बर 484 पर कब्जे की रिपोर्ट तहसीलदार निवाई के समक्ष पेश की जो गलत है। अपीलान्ट का उक्त भूमि पर कब्जा नहीं है बल्कि अवैधानिक रूप से रिपोर्ट की है जो विधि विधान के विपरीत है। इसलिए नायब तहसीलदार साहब का निर्णय दिनांक 16-8-2019




जिला कलेक्टर
टोंक

खारिज किये जाने योग्य है। अपीलान्त तहसीलदार साहब के कार्यालय में दिनांक 13-8-2019 को उपस्थित हुआ था किन्तु कोई आगामी पेशी सुनवाई हेतु नहीं दी थी तथा अपीलान्त की उपस्थिति दर्ज कर पत्रावली निर्णय हेतु रिजर्व में रख ली थी जिसके पश्चात प्रार्थी अपीलान्त के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही कर निर्णय किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अपीलान्त को न तो गवाह पेश करने का अवसर मिला ओर न ही हल्का पटवारी से जिरह करने का अवसर दिया गया है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार निवाई द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16-8-2019 निरस्त फरमाया जावे व 90 दिवस का सिविल कारावास निरस्त कर 3/रूपये की आरोपित शास्ति निरस्त फरमाई जावे।


अपीलान्त के अभिभाषक द्वारा अपील में अंकित तथ्यों का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त को नोटिस जारी किया गया है जिस पर अपीलान्त की विधिवत रूप से तामिल हुई है। अपीलान्त अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है, किन्तु उसके द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अपीलान्त ने राजकीय भूमि किस्म बारानी-3 में खसरा नम्बर 484 रकबा 0.02 बीघा वाके ग्राम बारेड़ा तह0 निवाई में मकान बना कर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है। अपीलान्त ने इससे पूर्व भी अतिक्रमण किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं0 1062/16 से बेदखल किया गया था। अपीलान्त भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है एवं बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत अपील में अंकित तथ्यों एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलान्त पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलान्त की विधिवत रूप से तामिल हुई है। अपीलान्त अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ अपीलान्त ने राजकीय भूमि किस्म बारानी-3 में खसरा नम्बर 484 रकबा 0.02 बीघा वाके ग्राम बारेड़ा तह0 निवाई में मकान बना कर पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने पर पेनल्टी कायम कर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश दिया है। अपीलान्त ने इससे पूर्व भी अतिक्रमण किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं0 1062/16 से बेदखल किया गया था जो पटवारी हल्का के बयान व रिपोर्ट से सिद्ध है। अपीलान्त विवादित भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है एवं बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

फलतः अपील अपीलान्त अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार निवाई का निर्णय दिनांक 16-8-2019 यथावत रखा जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20-1-2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(चिन्मयी गोपाल)
जिल्हा कलेक्टर
टॉक